



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222930
CG-DL-E-03112020-222930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3506]
No. 3506]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/ कार्तिक 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3970(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 0 से कि.मी.9.4 (सड़क ऑफिस) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१५.०८.२०२० " को "लोकमत " और "लोकमत टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 0 से कि.मी.9.4 (सड़ो ऑफिस) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: नांदेड					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भोकर				
	गांव का नाम: किन्हाला				
1	84	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.63	कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग नांदेड ()
	गांव का नाम: थेरबन				
2	132 / 1	निजी	एग्रीकल्चरल	0.14	परमेश्वर गंगाधर झंपलवाड (1)
3	132 / 2	निजी	एग्रीकल्चरल	0.005	किशन महादु (2)
4	138 / 1	निजी	एग्रीकल्चरल	0.005	परसराम सयाजी करंदीकर (1)
5	138 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.26	लक्ष्मण केरबा करंदीकर (2)
6	138 / 3	सरकारी	गायरान	0.42	सरकारी गायरान (३)
7	142 / 1	निजी	एग्रीकल्चरल	0.39	शे. सबिराबी शे. हमिदमिया (१)

8	142 / 2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.9	कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग नांदेड (२)
			कुल	2.75	

[फा. सं. 12037/37/2017-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3970(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH161A on the stretch of land from Km 0 to Km 9.4 (SDO Office Govt. office Building, 1st floor) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Lokmat Times” both dated 15.08.2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161A in the stretch of land from km. 0 to km. 9.4 (SDO Office Govt. office Building, 1st floor) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhokar				
	Village: Kinala				
1	84	Government	Non agricultural	0.63	Executive Engineer minor irrigation divn. Nanded

	Village: Therban				
2	132 / 1	Private	Agricultural	0.14	Parmeshwar Gangadhar Zampalwad 1
3	132 / 2	Private	Agricultural	0.005	Kishan Mahadu 2
4	138 / 1	Private	Agricultural	0.005	Parasaram Sayaji karandikar 1
5	138 / 2	Private	Agriculture	0.26	Laxman Keraba Karandikar 2
6	138 / 3	Government	gairan	0.42	Government Gairan 3
7	142 / 1	Private	Agricultural	0.39	Sk. sabirabi Sk. hamidmiya 1
8	142 / 2	Government	Non agricultural	0.9	Executive Engineer Minor Irrigation Divn Nanded 2
			TOTAL	2.75	

[F. No. 12037/37/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.